प्रकाशन का 43 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/ shailshamachar

वर्ष 43 अंक-19 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 07-14 मई 2018 मूल्य पांच रूपए

अवैध निर्माणों के दोषीयों के खिलाफ कारवाई क्यों नही

गुलाब सिंह की मौत के बाद उठा सवाल

शिमला/शैल। कसौली गोली कांड में घायल हुए गुलाब सिंह की भी मौत हो गयी है। मौत पर भी सरकार ने मृतक के परिवार को पांच लाख की सहायता राशी तथा मृतक के शेष बचे सेवाकाल तक परिवार को उसका पूरा वेतन देने की घोषणा की है। इससे पूर्व इसी गोली कांड में मौके पर ही दम तोड़ गयी टीपीसी की अधिकारी शैल बाला के परिवार को भी सरकार ने पांच लाख की सहायता राशी दी थी जो उस परिवार ने वापिस मुख्यमन्त्री राहत कोश में दे दी है। इस परिवार ने इस गोली कांड के दोषीयों को शीघ्र और कड़ी सज़ा दिये जाने की मांग की है। गोली चलाने वाले होटल मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस कब इस मामले का चालान तैयार करके मुकद्दमा अदालत में डालती है और कब अदालत उस पर फैसला सुनाती है इसका पता तो आने वाले समय में लगेगा। लेकिन यह गोली कांड जो सवाल खड़े कर गया है उनका जवाब कौन और कब देगा? या यह जवाब कभी नहीं आयेंगे यह बड़ा सवाल इस समय हर ज़ुबान की चर्चा का विषय बना हुआ है।

यह गोली कांड सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अनुपालना करवाने के जवाब में हुआ। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इन अवैध निर्माणों को गिराने का फैसला दे रखा था और 15 दिन के भीतर इस पर अमल की रिपोर्ट तलब की थी। इन अवैध निर्माणों को गिराने का फैसला एनजीटी ने मूलत: दिया था। जिन लोगों ने एनजीटी का फैसला पढ़ा है वह आश्वस्त: थे कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय से कोई राहत नही मिलेगी। लेकिन फिर भी इस फैसले की अपील की गयी और एनजीटी का फैसला ही बहाल रहा। एनजीटी ने न केवल अवैध निर्माणों को गिराने का ही आदेश दिया बल्कि उसने उन कुछ अधिकारियों को भी चिन्हित किया है जो इसके लिये जिम्मेदार रहे हैं। यही नही जो अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत भी हो चुके हैं उनको भी चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कारवाई करने के आदेश दिये हैं। लेकिन इन आदेशों पर अभी तक कोई अमल नही हो पाया है क्योंकि शायद शीर्ष प्रशासन से लेकर शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व को भी यह उम्मीद थी कि सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिल ही जायेगी। सरकार इसका कोई न कोई हल निकाल ही लेगी। शायद इस तरह के आश्वासन भी इन अवैध निर्माणों के दोषीयों को दिये गये थे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अपील-दलील के सारे दरवाजे बन्द हो गये हैं। सरकार ने टीसीपी अधिनियम में भी जो संशोधन किया है वह एक तो अभी तक कानून नही बन पाया है और साथ ही यह सवाल खड़ा हो गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पहले आ गया है जिसे अब संशोधन से बदला नही जा सकेगा।

इस वस्तुस्थिति में यह और सवाल उछल रहा है कि सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ क्यों कारवाई नही कर पा रही है जिन्हें अदालत चिन्हित तक कर चुकी है। यह कारवाई मुख्य सचिव को करनी है लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ भी नही किया गया है। जबकि कसौली गोली कांड में हुई हत्याओं का सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए स्पष्ट कहा है कि यह अवैध निर्माण एक दिन में खड़े नही हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे प्रदेश भर की रिपोर्ट सरकार से तलब की है। क्योंकि एनजीटी के संज्ञान में 35000 अवैध निर्माण आये हुए है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इन अवैध निर्माणों का कड़ा संज्ञान लेते हुए इनके बिजली, पानी काटने के आदेश दिये थे। उच्च न्यायालय के इन आदेशों की पालना करते हुए सैंकड़ो के बिजली, पानी काटे थे। इनमें परवाणु, कसौली, शिमला, सोलन, कुल्लू, मनाली, कसोल, पालमपुर, धर्मशाला, मकलोड़गंज को लेकर अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी रिपोर्ट तलब की है। सोलन में 150 से अधिक को इस बारे में नोटिस गये थे। धर्मशाला में 128 के बिजली पानी कटे थे। कुल्लू -मनाली में यह आंकड़ा दो सौ से अधिक का रहा है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश के हर हिस्से में अवैध निर्माण हुए हैं और यह अवैध निर्माण संवद्ध प्रशासन के संज्ञान में रहे हैं।

मई 2014 में निर्माणों पर पहली बार रोक लगा दी गयी थी। एनजीटी ने स्पष्ट कहा था कि किसी भी निर्माण में 35 डिग्री से अधिक की कटिंग नही होगी और कोई भी निर्माण अढ़ाई मंजिल से अधिक का नही होगा। यह आदेश सरकारी और निजि सब निर्माणों पर एक बराबर लागू हैं लेकिन इसके वाबजूद आज भी पांच-पांच मंजिलों के निर्माण चालू हैं जिनमें 90 डिग्री तक कटिंग की गयी है। राजधानी शिमला में भी ऐसे निर्माण हो रहे हैं। जिन पर प्रशासन की नज़र नही जा रही है। प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने तो कुल्लू-मनाली के होटलों की एक सूची भी तैयार की है। इस सबसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अवैध निर्माण सरकार के संज्ञान में हैं लेकिन इन पर कोई कारवाई नही की जा रही है। सरकार उन अधिकारियों/कर्मचारियों को क्यों चिन्हित नही कर रही है जिनके सामने यह अवैध निर्माण हुए है।

शिमला में हो रहे इस तरह के निर्माण कितने सुरक्षित होंगे

सरकार के सज्ञान में रहे हैं यह अवैध रूप से ऑपरेट होते होटल

Sr. No.	Name and Address of the Unit	Consent status and action taken Hon'ble NGT order Valid till	Expired/ Granted
1.	M/s Hotel Kailash view, VPO-Baragran, 14 Mills, Tehsil-Manali, Distt. Kullu (HP)	31.03.2006	Expired
2.	M/s Anand Paying Guest House, VPO- Vashisth, Tehsil-Manali, Distt- Kullu (HP)	31.03.2006	Expire
3.	M/S Apple Cottage, Village Gadherni, PO Kalath, Manali, Tehsil - Manali, Distt. Kullu-175131 (HP)	31.03.2017	Expired
4.	M/s Apple Royal Guest House, Apple Complex, NH-21, Parla Bhunter,Distt-Kullu-175125 (HP)	31.03.2017	Expired
5.	M/s Hotel Alpine, Near Hadimba Temple Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131(HP)	31.03.2016	Expired
6.	M/s Hotel Angler's Bungalow (Apple Blossom), HPTDC Katrain, Tehsil &Distt- Kullu (HP),	31.03.2014	Expired
7.	M/s Hotel Asia Sulphur Spring (Beas Spring),VPO-Kalath, Tehsil-Manali, Dsitt. Kullu-175131(HP)	31.03.2006	Expired
8.	M/s Hotel Blue Chips Pvt. Ltd., Chadigari Sunnyside- Manali, Tehsil - Manali, Distt. Kullu-175131 (HP)	31.03.2006	Expired
9.	M/S Hotel Broad View, Log Huts Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu -175131 (HP)	31.03.2016	Expired
10.	M/s Hotel Camping Site (Adventure Resorts)"Morpheus Valley Resort",HPTDC Raison, Distt. Kullu (HP)	31.03.2016	Expired
11.	M/s Hotel Classic, Aleo Manali, Tehsil - Manali, Distt. Kullu-175131 (HP).	31.03.2016	Expired
12.	M/s Hotel 'D' Chalet (Dee Restaurant), Club House Road Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131 (HP)	31.03.2016	Expired
13.	M/s Hotel Dev Bhumi, left bank Aleo, Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131 (HP)	31.03.2016	Expired
14.	M/s Hotel Durga, Siyal Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu(HP)	31.03.2016	Expired
15.	M/s Hotel Flamingo Resorts, Kanyal Resorts Simsa,Manali, Distt. Kullu -175131(HP)	31.03.2017	Expired
16.	M/s Hotel Gilbert, circuit House Road Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu -175131(HP),	31.03.2016	Expired
17.	M/s Hotel Hadimba Palace, Hadimba Matta Road- Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-17513	31.03.2017	Expired
18.	M/s Hotel Hager Regency (Hayer Regency), Aleo Manali, Distt. Kullu-175131(HP)	31.03.2011	Expired

शेष पृष्ठ 2 पर........

अवैध निर्माणों के दोषीयों के खिलाफ

...पृष्ठ 1 का शेष

19. M/s Hotel Hamta View, Aleo, Manali, Distt. Kullu-175131 (HP)	31.03.2011	Expired
20. M/s Hotel Hilltone Resorts (A unit of K. K. Hotels Pvt. Ltd.), Vill-BaragranBihal, PO-Katrain, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175129 (HP)	31.03.2017	Expired
21. M/s Hotel Him View, Club House Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu -175131 (HP)	31.03.2016	Expired
22. M/s Hotel Ibex, The Mall Manali, Tehsil -Manali, Distt. Kullu -175131(HP)	31.03.2012	Expired
23. M/s Hotel Kalinga Grand, Kanyal Road Rangree, Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131 (HP)	31.03.2009	Expired
24. M/s Hotel MahadevResorts(Club Vista), Rangree, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131 (HP)	31.03.2015	Expired
25. M/s Hotel Manali Castle, Aleo, Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu -175131(HP),	31.03.2016	Expired
26. M/s Hotel Manali Jain Cottage, Koshalavashisth Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu (HP)	31.03.2011	Expired
27. M/s Hotel Moon Light, Hadimba Matta Road Manali, Distt. Kullu-175131(HP)	31.03.2017	Expired
28. M/s Hotel Nakshatra, Vill-Talogi, PO-Bari, Tehsil &Distt. Kullu-175101(HP)	31.03.2017	Expired
29. M/s Hotel Narayan, Aleo, Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131 (HP)	31.03.2016	Expired
30. M/s Hotel Natraj, Rangree, Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131 (HP)	31.03.2017	Expired
31.M/s Hotel New Kailash, Akhara Bazar Kullu, Distt. Kullu175101(HP)	31.03.2012	Expired
32. M/s Hotel New Kenilworth International,near police station Manali, tehsil- Manali, Distt. Kullu (HP)	31.03.2017	Expired
33. M/s Hotel Parijat, Old Mission Road- Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu-175131(HP),	31.03.2017	Expired
34. M/s Hotel Premier, Model Town Manali, Distt. Kullu-175131(HP)	31.03.2011	Expired
35. M/s Hotel President ,Aleo, Manali, Distt. Kullu(HP)-175131,	31.03.2016	Expired
36. M/s Hotel Prince, Aleo, Manali, Distt. Kullu(HP)-175131	31.03.2006	Expired
37. M/s Hotel Raj Hans, Log Huts Manali, Distt. Kullu(HP)-175131,	31.03.2006	Expired
38.M/s Hotel Rohtang Inn, The Mall Manali, Distt. Kullu(HP)	31.03.2016	Expired
39.M/s Hotel Royal Kalinga Cottage, Kanyal Road Manali, Distt. Kullu-175131 (HP),	31.03.2016	Expired
40.M/s Hotel Royal, Gurudwara Road Manali, Distt. Kullu (HP)-175131	31.03.2017	Expired
41.M/s Hotel Sanjeevny, VPO-Bajaura, Tehsil &Distt. Kullu -175125(HP),	31.03.2017	Expired
42.M/s Hotel Seagull, near Circuit House Manali, Distt. Kullu (HP)	31.03.2011	Expired
43.M/s Hotel Shanti Kunj , near Circuit House Road Manali, Distt. Kullu -175131(HP),	31.03.2016	Expired
44.M/s Hotel Singar, Model Town Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu (HP)-175131,	31.03.2005	Expired
45.M/s Hotel Sitara International, Kanyal Road Rangree Manali, Distt. Kullu(HP)-175131	31.03.2017	Expired
46. M/s Hotel Summer King, left bank Aleo, Manali, Distt. Kullu-175131 (HP),]	31.03.2016	Expired
47. M/s Hotel Tourist, near circuit House Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131 (HP),	31.03.2016	Expired
48. M/s Hotel Valley View Annexe, Ram Bag, Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131 (HP)	31.03.2016	Expired
49. M/s Hotel Valley View, TikkerBowli-Kullu, Tehsil &Distt. Kullu-175101(HP),	31.03.2017	Expired
50. M/s Hotel Valley View, Vashisth, Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu (HP)	31.03.2016	Expired
51. M/s Hotel Windsor, Khanyal Road Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu(HP),	31.03.2006	Expired
52. M/s Koyal Paying Guest House, Gurudwara Road Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu-175131	31.03.2017	Expired
53. M/s Kullu Valley Leisure Resorts Pvt. Ltd., Shamshi, Tehsil-Bhunter, Distt. Kullu -175126 (HP),	31.03.2016	Expired
54. M/s Kunal Lodge, Log Huts Area, Near Hotel Chetna, Manali, Distt. Kullu-175131	31.03.2016	Expired
55. M/s Lord's Resency, Vill-Aleo, Manali, Tehsil- Manali, Distt. Kullu-175131 (HP)	31.03.2017	Expired
56. M/s Manali Retreat & Spa (Neeraj Sharma),Village-Shuru, PO-Prini, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131(H.P)	31.03.2016	Expired
57. M/s Mangal Deep Guest House, Model Town Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131 (HP)	31.03.2017	Expired
58. M/s Manu Deluxe, Near Circuit House, Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131 (HP)	31.03.2006	Expired
59. M/s Dee Camp & Resorts Vill. Shuru, P.O. Prini, Tehsil Manali Dist. Kullu	06.04.1999	Expired
60.M/s Anand Guest House (Nanad Hotel &Resturent) Bada Gram 15 Mile, P.O. Katrain, Distt. Kullu	31.03.2017	Expired
61.M/s Naina Rock Land (Naina Guest House), Village-Matiana, PO-Vashisth, Tehsil-Manali, Distt. Kullu -175131(HP)	31.03.2016	Expired
62.M/s Manali Paradise, V.P.O Aleo, Tehsil Manali,.Distt. Kullu	31.03.2017	Expired
63.M/s Nishita Resorts, Aleo Manali, Te;hsil Manali, Distt. Kullu (HP)-175131,	31.03.2016	Expired
64.M/s Peak view, VPO-Prini, Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu-175143	31.03.2017	Expired
65.M/s Prini Inn Guest House, Village-Prini, Distt. Kullu(HP)	31.03.2016	Expired
66.M/s Arman Resort, Vill. Shuru (Shaminara) P.O. Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu	04.09.2015	Running without CCA
67.M/s Samrat Paying Guest House, VPO-Bhunter, Tehsil-Bhunter, Distt. Kullu-175125 (HP),	31.03.2016	Expired
68.M/s Snow Peak Cottages, Village-Nasogi, PO-Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131(HP),	31.03.2017	Expired
69.M/s Summer Guest House, Model Town Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu -175131(HP)	31.03.2006	Expired
70.M/s Tall Trees Resorts, VPO-Haripur, Tehsil Manali, Distt. Kullu-175136 (HP),	31.03.2017	Expired
71.M/s Thunder World Club & All Season Camp, Village-Nasogi, PO-Chhiyal, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131(HP),	31.03.2017	Expired
72.M/s Village Classic Cottage, Simsha, Manali, Distt. Kullu-175131(HP)	31.03.2016	Expired
73.M/s Whispering Wood Resorts, Village-Shanag,PO-Bahang, Tehsil -Manali, Distt. Kullu-175131 (HP),	31.03.2016	Expired

शिक्षा मंत्री ने किया गुम्मा पम्पिग स्टेशन का दौरा

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री एवं शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज ने गुम्मा पम्पिग स्टेशन का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उल्लेखनीय है कि शिमला शहर को गुम्मा से सर्वाधिक 21 एमएलडी पानी आपूर्ति होती है।

उन्होंने कहा कि पेयजल के मुख्य स्त्रोत नोटी खड्ड में पानी की कमी के कारण शिमला के लिए पानी की लिफ्टिंग में कमी आई है। उन्होंने जिला उपायुक्त को निर्देश दिए कि वह स्थानीय किसानों, जो नोटी खड्ड से अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं, से बातचीत करें और ऐसा रास्ता निकाले जिससे शहर के लिए पानी की आपूर्ति बढ़ाई जा सके।

भारद्वाज ने इस दौरान पानी के मुख्य स्त्रोतों के आस-पास सफाई का विशेष ध्यान रखने निर्देश दिए। उन्होंने पानी की नियमित कलोरीनेशन करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राजधानी के वाशिंदों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है और इस दिशा में निरतंर प्रयास किए जा रहे है।

इसके पश्चात, मंत्रि ने राजकीय वरिष्ठ माधयमिक पाठशाला गुम्मा तथा प्राथमिक पाठशाला गुम्मा-2 का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अध यापकों से बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में संस्कृति और मूल्यों का अभाव देखने को मिलता है और अधयापकों को इस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिये आयु सीमा 70 वर्ष

शिमला/ शैल। प्रदेश सरकार राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण व सुख समृद्धि के लिये वचनबद्ध है और उनकी बेहतरी के लिये अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला जिले के निर्वाचन सभा क्षेत्र जुब्बल-कोटखाई के विधायक तथा ताऊ गांव के निवासियों के साथ सामाजिक सुरक्षा योजना पर शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधे संवाद के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मंत्रिमण्डल की पहली ही बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने के लिये आयु सीमा बिना किसी आय सीमा के मौजूदा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से राज्य के 1.30 लाख वृद्धजन लाभान्वित हुए हैं और इस पर सालाना 200 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार का यह फैसला प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी पात्र वृद्धजनों के नामांकन के लिए विशेष अभियान चलाया जाए ताकि उन्हें शीघ्र 1300 रुपये प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलनी सुनिश्चित हो।मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के नामांकन के लिए अभियान चलाने के इस अभिनव विचार के लिए नरेन्द्र बरागटा को बधाई दी। विधायक नरेन्द्र बरागटा ने कहा कि विशेष अभियान आरम्भ कर 15 दिनों के भीतर पात्र लोगों का इस योजना के अन्तर्गत नामांकन किया जाएगा। उन्होंने वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से उनके निर्वाचन सभा क्षेत्र में अभियान की शुरूआत करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा दिए बहुमूल्य समय के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि इस योजना के अन्तर्गत पहला आवदेन प्रपत्र गांव की 73 वर्षीय रूकमु देवी का भरा गया था।

HP.PWD.TENDERS"

Sealed item rate tender on form PWD-8 are hereby invited on behalf of Governor of H.P. by the Executive-Engineer, Rohru Division, HPPWD., Rohru for the following works from the approved and eligible contractors enlisted in HPPWD., so as to reach in the office of the Executive-Engineer, Rohru Division, HPPWD., Rohru on or before 06-06-18 upto 10.45AM.and will be opened on the same day at 11.00 AM. in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender form documents can be had from his office (Rohru Division HPPWD.,Rohru) against cash payment(Non refundable) on any working day during the office hours upto 3.00 PM. 05-06-18 on. No application for issue of tender forms will be received on 05-06-18 after 3.00PM. If the Office happens to be closed on the above mentioned dates, the tenders will be sold/ opened on the next working day at the same time and venue.

The earnest money in the shape of National in the name of the XEN, must accompany each tenders. Conditional tenders and application (for purchase of tender-forms) received without earnest money will summarily be rejected. The Offer of the tenders shall be kept open for 120 days.The XEN. Reserves the right to accept or to reject any or all the tenders without assigning any reasons.

The copy of the latest renewal/enlistment, sale-tax clearance certificate must also accompany the application for the purchase of tender-documents. Saving certificate /Time deposit account/Saving bank account in any of the post offices in HP. duly pledged.

Sr.No. Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time /Cost of form
A/R & M/O Badiyara Nandla road km 0/0 to 7/0 (S.H:- P/L patch work at various RD's Between 0/0 to 7/0)	Rs.6,02,966/-	Rs.12,600/-	01 Month
A/R & M/O Badiyara Jangla Saribasa road km 0/0 to 11/0 (S.H:- P/L patch work RD's Between 0/0 to 11/0)	Rs.9,47,519/-	Rs.19,000/-	01 Month

Terms and conditions:-

1. The Earnest-money for the above works should be submitted with the application for the purchase of the tender-documents.
2. The Contractors should quoted the rates of all the items in the tenders both in figures and words.
3. Income tax & Sale tax No latest Sales tax clearance certificate.
4. The contrs / firm shall accompany his enlistment/renewal & EPF with his application for obtaining the tender document.
5. The contractors should apply for two works only at a time for tenders.

Adv. No.-0518/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक-जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार-ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना
सीता

सचेतकों को मन्त्री का दर्जा देने वाला विधेयक अभी तक नहीं पहुंचा राजभवन

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने अपने पहले ही बजट सत्र में पार्टी के मुख्य सचेतक और उप सचेतक को कैबिनेट मन्त्री और राज्य मन्त्री का

दर्जा तथा वेतन – भत्ते व अन्य सुविधायें देने का विधेयक सदन में लाकर उसे पारित करवा लिया था। इस विधेयक को लेकर कांग्रेस ने सदन में अपना कड़ा एतराज जताया था। कांग्रेस के साथ सीपीएम ने भी एतराज जताया था। केन्द्र में सचेतकों को कुछ सुविधायें अवश्य दी गयी हैं लेकिन मन्त्री का दर्जा नही दिया गया है। ऐसा विधेयक प्रदेश में पहली बार लाया गया है। माना जा रहा था कि विधायक रमेश धवाला और नरेन्द्र बरागटा को यह पद दिये जा रहे हैं। क्योंकि यह दोनों धूमल शासन में मन्त्री रह चुके हैं लेकिन किन्ही कारणों से इस बार इन्हे मन्त्री नही बनाया जा सका और इस तरह राजनीतिक समीकरणों में जो असन्तुलन आ गया था उसे सुलझाने के लिये यह राजनीतिक कदम उठाया गया था।

लेकिन जिस राजनीतिक शीघ्रता के साथ यह विधेयक लाया गया था उसको सामने रखते हुए इस विधेयक को अब तक महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद कानून की शक्ल ले लेनी चाहिये थी। बजट सत्र पांच अप्रैल को समाप्त हुआ था और उसके बाद सचिव लॉ के सर्टीफिकेट के साथ राज्यपाल को अनुमोदन को चला जाना चाहिये था। लेकिन अभी तक ऐसा नही हो पाया हैं यह विधेयक अभी तक राजभवन पहुंचा ही नही है। इसी कारण से अभी तक कोई भी विधायक अब तक सचेतक या उप–सचेतक नही बन पाया है।

इसी तरह सरकार इस बजट सत्र में टीसीपी एक्ट में भी एक संशोधन लेकर आयी थी। यह संशोधन भी सदन से पारित हो गया था। माना जा रहा था कि इस संशोधन को राजभवन की स्वीकृति मिलने के बाद कई अवैध निर्माणकारों को राहत मिल जायेगी। लेकिन यह संशोधित विधेयक भी अभी तक राजभवन नही पहुंच पाया है। सचिव लॉ की ओर से इस विधेयक को भी अभी तक राज्यपाल की स्वीकृति के लिये नहीं भेजा जा सका है वैसे अभी तक बजट सत्र में जो भी विधेयक सदन से पारित हुए थे उनमें से किसी को भी सरकार की ओर से राजभवन को नही भेजा गया है। एक माह से अधिक का समय हो गया है बजट सत्र को हुए। विधेयकों को राज्यपाल की स्वीकृति के लिये भेजने में सामान्यत: एक सप्ताह का समय लगता है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि इन विधेयकों को राजभवन भेजने की तत्परता क्यों नही दिखायी जा रही है। क्या सरकार इन मुद्दों पर अब गंभीर नही रह गयी है या सरकार को यह लग रहा है कि जैसे ही इन विधेयकों को राज्यपाल की अनुमति मिल जाती है तब कोई भी इन्हे उच्च न्यायालय में चुनौती दे देगा। क्योंकि जब वीरभद्र शासनकाल में भी टीसीपी एक्ट में 2016 में संशोधन किया गया था तब उस संशोधन को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। ऐसे ही सचेतकों के मामले को लेकर हो रहा है। क्योंकि जब किसी विधायक को सचेतक बनाकर मन्त्री के बराबर वेतन भत्ते और अन्य सुविधायें प्रदान कर दी जायेंगी तब वह निश्चित रूप से लाभ के पद के दायरे में आ जायेगा। क्योंकि सचेतक को मन्त्री का दर्जा दिये जाने के बाद भी उन्हे मन्त्री की तरह पद और गोपनीयता की शपथ नही दिलाई जा सकती है। इस परिदृश्य में इन पक्षों को गंभीरता से देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि इन विधेयकों को राज्यपाल की अनुमति मिल भी जाती है तो भी इनसे उस राजनीतिक उद्येश्य की पूर्ति नही हो पायेगी जिसके लिये यह विधेयक लाये गये हैं। अब इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि क्या यह विधेयक राजभवन की स्वीकृति के लिये भेजे जाते हैं या इन्हे वैसे ही ठण्डे बस्ते मे रहने दिया जाता है।

अब जयराम सरकार ने भी बदली जलविद्युत नीति

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की वर्तमान जलविद्युत नीति में कुछ संशोधन करने को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में राष्ट्रीय जलविद्युत नीति के प्रावधानों तथा हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों उत्तराखंड और जम्मू–कश्मीर के प्रावधानों के दृष्टिगत नई परियोजनाओं के आवंटन के लिए लागू होने वाली रॉयल्टी दरों को तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में पहले से आवंटित परियोजनाओं के मामले में पहले 12 वर्षो के लिए 12 प्रतिशत नि:शुल्क विद्युत प्रदान की जाएगी। 10 मेगावाट तक क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाओं की ऊर्जा हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड द्वारा अनिवार्य रूप से खरीदने को मंजूरी दी गई। 25 मेगावाट तक की जलविद्युत परियेजनाओं के मामलों में लागू होने वाली जेनरिक टेरिफ समझौते के कार्यान्वयन की तिथि के स्थान पर परियोजना के शुरू होने की तिथि से लागू करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। 25 मेगावाट तक की क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाओं में व्हीलिंग दरों/ओपन एक्सेस दरों को लागू नहीं किया जाएगा ताकि वे राज्य से बाहर ऊर्जा को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बेचा जा सके।

इन सभी कदमों से लगभग 5100 मेगावाट क्षमता की 737 बाधित परियोजनाओं को शुरू किया जा सकेगा तथा उनके कार्यान्वयन में तेजी आएगी। इसके अतिरिक्त 2200 मेगावाट क्षमता की 300 परियोजनाओं को आवंटित करना भी संभव होगा जिसके लिए पुरानी नीति के अंतर्गत बार–बार विज्ञापन देने के बावजूद कोई आगे नहीं आया था। इन सभी प्रयासों से आगामी 10 वर्षो में जलविद्युत क्षेत्र में 70 हजार करोड़ का निजी निवेश संभव होगा।

बैठक में शून्य लागत प्राकृतिक कृषि के माध्यम से किसानों की खेतों से आय बढ़ाने तथा कृषि लागत कम करने के लिए प्रदेश में 'प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान' योजना के कार्यान्वयन के दिशा–निर्देशों को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना से प्राकृतिक कृषि को नई दिशा मिलेगी तथा किसानों द्वारा खेतों में रासायनिक खादों के उपयोग में कमी आएगी। प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पैकेज ऑफ प्रैक्टिसिज तैयार करेंगे।

मंत्रिमंडल ने लूरी चरण–एक, दो तथा सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजनाओं की तर्ज पर स्पेशल पर्पज व्हीकल के स्थान पर स्टैंडअलोन, बूम आधार पर जिला हमीरपुर की ब्यास नदी पर 66 मेगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयन को एसजेवीएन लिमिटेड को आवंटित करने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में विभिन्न विभागों में 31 मार्च, 2018 तथा 30 सितंबर, 2018 को पांच साल का निरंतर सेवाकाल पूर्ण करने वाले दैनिकभोगी/आकस्मिक भोगी कर्मियों को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में जिला सिरमौर के नौहराधार में व्हाईट सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए 108 हेक्टेयर क्षेत्र पर माइनिंग लीज के लिए मैसर्ज एफ.सी.आई. अरावली जिप्सम ऐंड मिनरल्ज इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम), जोधपुर, राजस्थान को 'लैटर ऑफ इनटेंट' जारी करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश में विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में रुचि लेने के लिए जमा दो कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 'युवा विज्ञान पुरस्कार योजना' को शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत जमा दो की बोर्ड परीक्षाओं में विज्ञान संकाय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 10 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

बैठक में जिला कांगड़ा के जवाली में शैक्षणिक संस्थान को संचालित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों सहित नया राजकीय कॉलेज खोलने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने आवश्यक कर्मियों सहित जिला कांगड़ा के ग्राम पंचायत पटियालकर में नियमित पशु औषधालय खोलने का निर्णय लिया है।

बैठक में मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के अंतर्गत आवश्यक कर्मचारियों सहित ऊना जिले की थानाकलां तथा लठियाणी पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में कांगड़ा जिले की उपतहसील थुरल को आवश्यक स्टाफ सहित तहसील में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पीड़ित मुआवजा निधि योजना, 2018 को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में गृह रक्षक तथा नागरिक सुरक्षा विभाग में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों में से विभिन्न श्रेणियों के 6 पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में अनुबंध आधार पर जिला बिलासपुर के राजकीय डिग्री कॉलेज जुखाला में शारीरिक शिक्षा के असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की राज्य न्यायालय प्रबंधन समिति में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) का एक पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने दैनिक आधार पर हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सफाई कर्मियों के 12 रिक्त पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों का त्याग करने वाली सहायक शहरी एवं ग्राम नियोजक स्व. शैल बाला को श्रद्धांजलि देते हुए जिला मंडी की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलद्वाड़ा का नाम शैल बाला राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलद्वाड़ा रखने का निर्णय लिया गया।

एच पी सी ए प्रकरण पर सरकार की गंभीरता सवालों में

शिमला/शैल। जयराम सरकार एचपीसीए के खिलाफ वीरभद्र शासनकाल में बनाये गये मामलों को वापिस लेने के लिये कितनी गंभीर हैं इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार के एडवोकेट जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय को सरकार की मंशा से अवगत करवा दिया है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से अभी इसके लिये हरी झण्डी नही मिली है। बल्कि जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिये आया उस दिन पी चिदाम्बरम भी न्यायालय में उपस्थित रहे थे। इसके बाद दूसरी पेशी में अनूप चौधरी उपस्थित रहे। चिदाम्बरम और चौधरी दोनो ही वीरभद्र सिंह के वकील रहे हैं और इस मामले में एचपीसीए ने एक स्टेज पर वीरभद्र सिंह को भी प्रतिवादी बना रखा है। इस नाते एचपीसीए पर अपना पक्ष रखने का हक भी वीरभद्र सिंह को हासिल हो जाता है। क्योंकि वीरभद्र के पांच वर्ष के कार्यकाल की यही सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि विजिलैन्स ने न केवल एचपीसीए के खिलाफ मामले ही बनाये बल्कि उनको अदालत तक भी पहुंचा दिया। आज अदालत तक पहुंच चुके इन मामलों को वापिस लेना भी आसान नही रह गया है।

लेकिन इसी के साथ सरकार की नीयत और नीति को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गये हैं। क्योंकि एचपीसीए का एक सबसे बड़ा आज भी रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं और उच्च न्यायालय के बीच लंबित चल रहा है। इसमें यह फैसला आना है कि एचपीसीए सोसायटी है या कंपनी। जयराम सरकार को भी सत्ता में आये चार माह हो गये हैं उच्च न्यायालय में एजी के साथ सरकार के वकीलों की पूरी टीम मौजूद है परन्तु इस मामले को फैसला शीघ्र आने के लिये कोई कदम नही उठाये गये हैं। यही नही एचपीसीए में जिन अधिकारियों के खिलाफ भी मामले बने थे सरकार ने इन अधिकारियों के खिलाफ मुकद्दमा चलाने की अनुमति वापिस लेने का फैसला लिया हैं सरकार ने अपने फैसले से विजिलैन्स को अवगत भी करवा दिया है लेकिन विजिलैन्स ने अभी अदालत के सामने सरकार के इस फैसले को नही रखा है। उच्चस्थ सूत्रों के मुताबिक विजिलैन्स इन मामलों को वापिस लेने के पक्ष में नही है। विजिलैन्स इस संद्धर्भ में सरकार के फैसले से सहमत नही है।

इसमें सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि सरकार ने भी अभी तक विजिलैन्स को इस बारे में पूछा ही नही है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार भी इसमे राजनीतिक औपचारिकता निभाने के अतिरिक्त और ज्यादा गंभीर नही है। क्योंकि यदि संवद्ध अधिकारी इन मामलों से किसी कारण से बाहर हो जाते हैं तो इनका अदालत में सफल होना स्वत: ही संदिग्ध हो जाता है और वीरभद्र के जो लोग इनमें अभियुक्त नामज़द है वह पहले ही मुख्य अभियुक्त न होकर खाना 12 में दर्ज हैं। इस परिदृश्य में जयराम सरकार का आरसीएस और उच्च न्यायालय में लंबित मामले में कोई त्वरित कदम न उठाना तथा विजिलैन्स का मुकद्दमें की अनुमति वापिस लेने के फैसलों को अभी तक अदालत में न ले जाना राजनीतिक अर्थो में कुछ और ही संकेत देता है।

सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है।

.......चाणक्य

सम्पादकीय

मुख्यमन्त्री की कार्यशैली पर उठने लगे सवाल

लोकसभा के आगामी चुनावों के लिये सत्तारूढ़ भाजपा अभी से रणनीति बनाने में जुट गयी है इसके लिये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। उच्चस्थ सूत्रों के मुताबिक भाजपा हाईकमान मानकर चल रही है कि इस बार भी उसे प्रदेश की चारों सीटें मिल जायेंगी। हाईकमान की यह अपेक्षा कितनी पूरी होती है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा लेकिन जिन मानकों के आधार पर ऐसे आकलन किये जाते हैं वह सार्वजनिक रूप से सबके सामने है। उस दिवार पर लिखे हुए को कोई कितना खुली ऑख से पढ़ता और कितना बंद ऑख से यह हर आदमी पर व्यक्तिगत रूप से निर्भर करेगा। क्योंकि जो लोग भीष्म पितामह से बंधकर गांधारी की तरह आंख पर पट्टी बांध कर चलेंगे उनका आंकलन अलग होगा और बाकियों का अलग। यह चुनाव केन्द्र और राज्य सरकार दोनों के कामकाज़ पर स्पष्ट फतवा होगा यह तय है। जो लोग इस फतवे में भाग लेंगे उन्हे भी आसानी से तीन वर्गो में चिन्हित किया जा सकता है। इसमें राजनीतिक वर्ग को छोड़कर सबसे पहले शीर्ष प्रशासनिक वर्ग आता है। यह वह वर्ग होता है जिसे स्थायी सरकार कहा जाता है जिनके वेतन- भत्ते देश के राष्ट्रपति द्वारा सुरक्षित होते है। प्रशासन का यही शीर्ष वर्ग राजनीतिक नेतृत्व का जहां सिद्धान्त रूप से पथ प्रदर्शक होता है वहीं पर यही वर्ग सत्ता डूबने और तैरने का भी कारण रहता है। इस वर्ग के बाद दूसरे स्थान पर राजनीति कार्यकर्ताओं का वर्ग आता है। यह वर्ग जहां सिद्धान्त रूप से पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ होने का दावा करता है। वहीं पर जब इस वर्ग की भी अपनी अपेक्षाएं और व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे नही हो पाते है तब यही वर्ग नेतृत्व का आलोचक हो जाता है। इसके बाद तीसरा वर्ग वह आता है जो मतदाता होता है, यह वर्ग अब हर रोज जागरूक होता जा रहा है। उसी की सीधी नज़र दूसरे वर्ग पर बनी रहती है। यह वर्ग सबसे पहले यह जान पाता है कि दूसरे वर्ग को व्यक्तिगत रूप से कितने और क्या लाभ मिले हैं।

इन मानकों पर यदि प्रदेश का आकलन किया जाये तो सबसे पहले मुख्यमंत्री इस आकलन का विषय बनते हैं। मुख्यमन्त्री का बतौर विधायक यह पांचवा कार्यकाल है। वह एक बार मन्त्री भी रह चुके हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी। विद्यार्थी काल में आरएसएस और विद्यार्थी परिषद् के सक्रिय नेता/ कार्यकर्ता रह चुके हैं। 1998 से वह विधायक चले आ रहे हैं। उन्ही की तरह केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा 1990 में विधायक बन गये थे और विद्यार्थी परिषद् के अखिल भारतीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रदेश में भी मन्त्री रह चुके हैं। इस बार मुख्यमन्त्री की दौड़ में वह सबसे पहले स्थान पर थे। एक समय तो वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में भी माने जा रहे थे। नड्डा के साथ ही दूसरा नाम सुरेश भारद्वाज का आता है। भारद्वाज भी 1990 में विधायक बन गये थे। विद्यार्थी परिषद् के अखिल भारतीय महामन्त्री पर प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नड्डा और भारद्वाज भी वरियता मे जय राम से कम नही है और यदि किसी समय जयराम के विकल्प की चर्चा उठती है तो स्वभाविक रूप से इन दो नामों की चर्चा सबसे पहले आयेगी जबकि महेन्द्र सिंह सबसे वरिष्ठ है लेकिन वह आरएसएस से जुड़े नही रहे हैं इसलिये इस गणना से बाहर हो जाते हैं।

इस परिदृश्य में जब अगले लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जायेगी तो उसमें केन्द्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां और प्रदेश की जयराम सरकार की कारगुजारीयां दोनो की बराबर की भूमिका रहेगी। केन्द्र की मोदी सरकार को लेकर अब यह धारणा पूरी तरह पुख्ता हो चुकी है कि मोदी के भाषणों के अतिरिक्त व्यवहारिक तौर पर इस सरकार की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं रही है जिसको लेकर इस सरकार का फिर से समर्थन किया जाये। मंहगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे हर मोर्चे पर यह सरकार बुरी तरह असफल रही है। पाकिस्तान, बंग्लादेश, नेपाल और चीन के साथ संबंधो में कोई गुणात्मक सुधार सामने नहीं आ पाया है। प्रधानमन्त्री चीन यात्रा के दौरान जब बड़े सकारात्मक दावे कर रहे थे तब उसी समय भारत- तिब्बत मैत्री संघ की बैठक में चीन को सबसे बड़ा घातक करार दिया जा रहा था। आज प्रधानमन्त्री के भाषणों की भी वह गरिमा नही रही है जो अबतक मानी जा रही थी। प्रधानमन्त्री के स्तर पर यह सार्वजनिक रूप से माना जाने लगा है कि प्रधानमन्त्री के भाषणों से ही चुनावी सफलता मिलना आसान नही होगा। नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था को जो आघात पहुंचा था वह अब एटीएम में कैश की कमी तक पहुंच चुका है।

इसी कड़ी में जब चार माह की जयराम सरकार का आंकलन किया जा रहा है तो उस पर कसौली कांड को लेकर जो फतवा सर्वोच्च न्यायालय के बाद शान्ता कुमार और वीरभद्र सिंह दे चुके हैं उसी से स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है। यही नहीं इन अवैध निर्माणों के लिये एनजीटी जिन लोगों को सीधे नाम से चिन्हित करके कारवाई करने के निर्देश दे चुका है उन लोगों के खिलाफ आज तक कारवाई न हो पाना सरकार की नीयत और नाति पर अपने में ही एक बड़ा फतवा हो जाता है। आज यह चर्चा आम हो चुकी है कि सरकार में पूरी तरह अराजकता का माहौल बन चुका है। सरकार जो काम कर भी रही है उसका कोई सकारात्मक सन्देश नही जा पा रहा है। मुख्यमन्त्री जितना समय सचिवालय से बाहर गुज़ार रहे हैं वह अब उपलब्धि की जगह असफलता माना जा रहा है। आज संघ के भी कई गंभीर लोग यह मान रहे हैं कि लोकसभा चुनावों में इच्छित सफलता मिलना कठिन है।

हिमाचल के युवा विश्व कौशल प्रतियोगिता में लेंगे भाग

हिमाचल प्रदेश देश के उन 19 राज्यों में से एक है, जिन्हें विश्व कौशल प्रतियोगिता (डब्लयूएससी) में विश्व कौशल भारत द्वारा शामिल किया गया है। राज्य इस प्रतियोगिता में पहली बार भाग ले रहा है और कौशल विकास मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को 41.35 लाख रुपये की राशि मंजूर की है।

यह राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित एवं अपने कौशल को प्रदर्शित करने व अपनी पसंद के कौशल में सर्वश्रेष्ठ बनने के तरीके सीखने का एक शानदार अवसर होगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों से युवाओं की अधिकतम संख्या को प्रेरित करने के प्रयास किए गए हैं।

एचपीकेवीएन इस आयोजन में तकनीकी शिक्षा विभाग को सहायता प्रदान कर रहा है। क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के बाद, नौ नौकरी की भूमिकाओं में राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा 21 से 28 अप्रैल, 2018 तक आयोजित की गई थी। हिमाचल के विजेता उत्तर क्षेत्रीय स्पर्धाएं, जो कि जयपुर में मई 2018 में और फिर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। राष्ट्रीय विजेता 2019 में रूस के कजान में होने वाली विश्व कौशल प्रतियोगिता में भाग लेंगे।

एचपीकेवीएन ने प्रतियोगिता के लिए छः कौशल क्षेत्रों से नौ भूमिकाएं चुनी हैं, जिनमें पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र, रेस्तोरां सेवाएं, खाना पकाने, आईटी क्षेत्र, आईटी नेटवर्किंग और प्रशासन और वेब डिजाइनिंग, सौंदर्य और कल्याण, सौंदर्य चिकित्सा और हेयर स्टाइलिस्ट, स्वचालन, प्लास्टिक डाई इंजीनियरिंग और फैशन डिजाइनिंग शामिल है। हिमाचल प्रदेश के सभी कुशल युवा इस समापन में भाग ले सकते हैं बशर्ते प्रतिभागी 1 जनवरी 1997 को या उसके बाद पैदा हुआ हो।

एचपीकेवीएन और तकनीकी शिक्षा विभाग ने मार्च में जोनल स्तर की प्रतियोगिताओं की प्रक्रिया पूरी की, जिसमें सभी तीन क्षेत्रों शिमला, मंडी और कांगड़ा से 71 उम्मीदवारों का चयन हुआ है, जो कि राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे। प्रत्येक जोन ने तीन विजेताओं प्रथम, द्वितीय और दो रनर अप का चयन किया जाएगा।

क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के बाद, एचपीकेवीएन, तकनीकी शिक्षा विभाग, सीआईपीईटी, एनआईएफटी और शेफ एसोसिएशन ने क्षेत्रीय विजेताओं के लिए राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन पर्यटन और आतिथ्य संस्थान, एपीजी विश्वविद्यालय, शिमला सौंदर्य और कल्याण संस्थान, आईटीआई, पॉलिटेक्निक हमीरपुर, आईटीआई शिमला में मोटर वाहन, सीआईपीईटी बद्दी में प्लास्टिक डाई और फैशन प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग एनआईएफटी, कांगड़ा में आयोजित किया गया था।

15 से 19 मई 2018 तक जयपुर में क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पहले राज्य विजेताओं को फिर से विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

राज्य स्तरीय विजेताओं को प्रत्येक को 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रत्येक नौकरी की भूमिकाओं के एक रनर-अप को 20,000 रुपये, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के प्रत्येक विजेताओं को 10,000 रुपये और प्रत्येक रनर अप को 2,000 रुपये शिमला में आयोजित समारोह मई, 2018 के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार वितरित किए जाएंगे।

निगम ने पर्यटन और आतिथ्य सेवाओं और खाना पकाने में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। सौंदर्य और कल्याण नौकरी की भूमिकाओं में राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता यानी सौंदर्य चिकित्सा और हेयर स्टाइलिस्ट आईटीआई, सोलन में आयोजित की गई थी।

फैशन प्रौद्योगिकी में राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) में आईटी नेटवर्किंग और प्रशासन में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जवाहर लाल नेहरू सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, हमीरपुर में, सुंदरनगर में वेब डिजाइनिंग और आईटीआई में ऑटो मोबाइल नौकरी की भूमिका शिमला में आयोजित की गई थी।

विश्व कौशल प्रतियोगिता का आरम्भ वर्ष 1950 में युवाओं, उद्योगों और शिक्षकों को एक साथ लाने के लिए युवाओं को प्रतिस्पर्धा, अनुभव और सीखने का मौका देने के लिए शुरू किया गया था, जिससे अपनी पसंद के कौशल में सर्वश्रेष्ठ बन सकें। कौशल की शक्ति के माध्यम से दुनिया में सुधार करना विश्व कौशल की सोच रही है। 2011 में भारत ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से डब्ल्यूएससी में भाग लिया।

विश्व कौशल भारत का मुख्य उद्देश्य युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा और स्थानीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिताओं के माध्यम से काम करने के लिए प्रेरित तथा समाज में कौशल को बढ़ावा देना है। यह सरकार, उद्योग और शिक्षित वर्ग के बीच सहयोग की सुविधा भी प्रदान करता है।

शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का ईनाम पदोन्नति

शिमला/शैल। शिमला के राजकीय महाविद्यालय संजौली में 2016 में यह मामला ध्यान में आया था कि इस कॉलिज में करोड़ों रूपये का गवन हुआ है। यह आरोप लगा था कि इस कॉलिज में छः सात वर्षो

से कोई कैश बुक ही नही लिखी गयी है जबकि खर्च नियमित रूप से हो रहा था। जब कोई कैश बुक ही नही लिखी जा रही थी तब यह कहना कठिन था कि कितना खर्च जायज़ हो रहा है और कितना नाजायज़। किस मद में धन का कितना प्रावधान है और कितना नही। कुल मिलाकर कॉलिज में पूरी तरह वित्तिय अराजकता वातावरण चल रहा था। जब यह स्थिति सार्वजनिक रूप से सामने आयी तब कॉलिज के तत्कालीन प्रिंसिपल ने 28.3.2016 को एक पत्र लिखकर शिक्षा निदेशालय को इस वस्तुस्थिति से अवगत करवाया। शिक्षा निदेशालय ने प्रिंसिपल का पत्र मिलने के बाद इस मामले की जांच विभाग में कार्यरत संयुक्त नियन्त्रक वित्त एवम् लेखा को सौंपी।

संयुक्त नियन्त्रक ने 6.4.2016 को कॉलिज का दौरा किया और 7.4.2016 को कैशियर को निलम्बित कर दिया। नियन्त्रक की जांच में 1.4.2016 से 31.3.2016 तक 6 वर्षो में 79,06,359 रूपये का गबन पाया गया। 29.6.2016 को इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी गयी। 3 अगस्त 2016 को विजिलैन्स में इसकी एफआईआर दर्ज करके दोषीयों के खिलाफ कारवाई करने के निर्देश दिये गये और 20.8.2016 को इसमें आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 417, 120-B तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (1) (C) r/w 13 (2) दर्ज की गयी। कैशियर के खिलाफ 1.9.2016 को चार्जशीट भी सौंप दी गयी। कॉलिज में इस दौरान जो बरसर तैनात थे उनके खिलाफ भी पत्र संख्या EDN.A-Kha(6)-1/06-Loose -11 दिनांक 15.3.2017 के तहत कारवाई किये जाने के निर्देश दिय गये।

जिन वर्षो में कॉलिज में यह 80 लाख रूपये का गवन सामने आया है उस दौरान तीन प्रिंसिपल यहां तैनात रहे हैं। उनमें से एक के कार्यकाल में 50 लाख दूसरे के 24 लाख और तीसरे के 6 लाख का गवन नियन्त्रक की रिपोर्ट और विजिलैन्स की जांच में सामने आया है। एक प्रिंसिपल के खिलाफ तो चार्जशीट भी जारी की गयी थी जो कि बाद में वापिस ले ली गयी। लेकिन अन्य दो के खिलाफ कोई चार्जशीट तक नही दी गयी। बल्कि जिसके कार्यकाल में 24 लाख का घपला रिकार्ड पर आया है उसे इस सरकार में पदोन्नत करके विभाग का निदेशक बना दिया गया है।

इसमें सबसे रोचक तो यह है कि जब मामला उजागर हुआ था तब शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज थे। भारद्वाज ने इस संबंध में 27.3.2017 को विधानसभा में सरकार से प्रश्न पूछा था सरकार को बुरी तरह कठघरे में खड़ा कर दिया था। आज भारद्वाज फिर शिमला के विधायक हैं और साथ ही प्रदेश के शिक्षा मन्त्री भी हैं। उन्ही के विभाग में वह प्रिंसिपल आज निदेशक है जिसके खिलाफ उन्होने ही विधानसभा में यह सवाल उठाया था। कॉलिज की कार्यप्रणाली की जानकारी रखने वाले जानते हैं कि कॉलिज में प्रशासनिक सर्वेसर्वा प्रिंसिपल ही होता है और जो प्रिंसिपल कॉलिज में 24 लाख के घपले को न पकड़ पाया हो वह इतने बड़े विभाग को कैसे संभालेगा। फिर इस मामले में विजिलैन्स ने किसी भी प्रिंसिपल को अभी तक कोई क्लीनचिट नही दी है। ऐसे में इस प्रिंसिपल को विभाग का निदेशक लगाने में क्या शिक्षा मन्त्री की भी सुनी गयी है? यह सवाल चर्चा में चल पड़ा है। क्योंकि इससे पहले कांग्रेस शासन में जो स्कूल वर्दी कांड हुआ था उसे उठाने वालों में सुरेश भारद्वाज प्रमुख थे। इस वर्दी खरीद मामले के सदन में उठने के बाद सरकार ने उस सप्लायर की करीब 16 करोड़ धरोधर राशी जब्त करने के आदेश कर दिये थे। इन आदेशों पर यह सप्लायर आरबिट्रेशन में चला गया था और उसके पक्ष में फैसला हो गया था। उसे 16% ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश हो गये थे। लेकिन इस मामलें में नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से कोताही हुई थी। सरकार ने इस कोताही की जांच किये जाने के आदेश किये थे। सुरेश भारद्वाज ने भी बतौर शिक्षा मन्त्री इस जांच की फाईल पर अनुशंसा की थी। क्योंकि इसमें किसी की जिम्मेदारी तय किया जाना आवश्यक था। लेकिन शिक्षा मन्त्री के निर्देशों

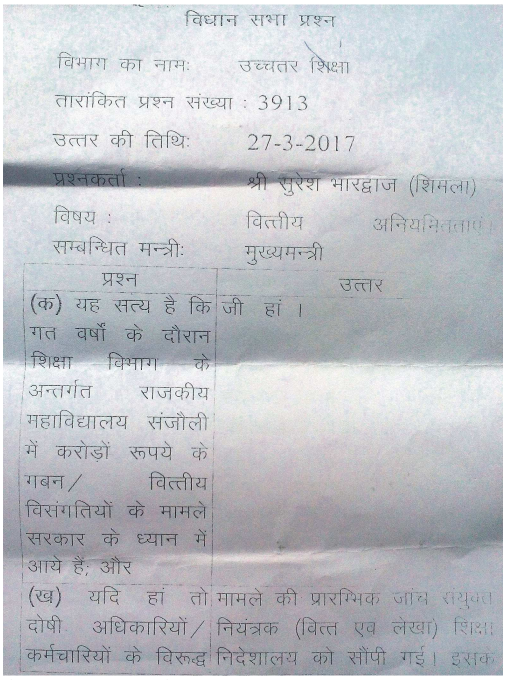

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम: उच्चतर शिक्षा

तारांकित प्रश्न संख्या : 3913

उत्तर की तिथि: 27-3-2017

प्रश्नकर्ता : श्री सुरेश भारद्वाज (शिमला)

विषय : वित्तीय अनियमितताएं

सम्बन्धित मन्त्री: मुख्यमन्त्री

प्रश्न	उत्तर
(क) यह सत्य है कि गत वर्षों के दौरान शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय संजौली में करोड़ों रूपये के गबन/ वित्तीय विसंगतियों के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं; और	जी हां।
(ख) यदि हां तो दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध	मामले की प्रारम्भिक जांच संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) शिक्षा निदेशालय को सौंपी गई। इसके

को भी नज़रअन्दाज करके यह जांच नही की गयी और इस सप्लायर को करीब 16 करोड़ की अदायगी कर दी गयी है।

शिक्षा विभाग की इन कारगुजारीयों को देखने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या सब कुछ शिक्षा मन्त्री को नज़रअन्दाज करके हो रहा है या वह इन मामलों पर खामोश रहने को विवश हो गये हैं। क्योंकि विभागाध्यक्ष की नियुक्ति मुख्यमन्त्री की संस्तुति के बिना नही होती है।

सरकार के सौ दिन की उपलब्धि सौ अपराधः सुक्खू

शिमला/शैल। विपक्ष में रहते जो इल्जाम कांग्रेस की वीरभद्र सिंह सरकार पर भाजपा लगाती थी बिल्कुल उसी तरह के इल्जाम अब विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने भाजपा की जयराम सरकर पर लगाने शुरू कर दिए। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार पर सनसीखेज इल्जाम लगाया कि प्रदेश में 100 दिन के अंदर 100 संगीन अपराध हो चुके हैं। यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि 65 बलात्कार व 35 हत्याएं प्रदेश सरकार की 100 दिन की उपलब्धि है।

क्षेत्रवाद को हवा देते हुए उन्होंने कहा कि हमीरपुर नगर में 68 करोड़ से बन रही पेयजल योजना को जानबूझ कर लटकाया गया है। इंटरनेशनल हवाई अड्डा मंडी की बजाय प्रदेश की किसी अन्य उचित स्थान पर बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तबादला माफिया सक्रिय हो गया है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से प्रदेश के अंदर तबादला माफिया ने जाल बिछा लिया है। पूर्व सरकार के कर्ज का रोना रोने वाली भाजपा सरकार चार माह में तीन हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है।

उन्होंने भाजपा में अपने पुराने सखा भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर

पर भी निशाना साधा। सुक्खू ने कहा कि बीते 4 वर्षो में सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर केंद्र सरकार से कौन से विकास के कार्य करवाए हैं, इसका जवाब इस संसदीय क्षेत्र की जनता जानना चाहती है। ऊना, हमीरपुर रेललाईन का वादा पूरा नहीं हुआ है। केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बाद भी अनुराग ठाकुर ने इलाके के विकास के लिए कुछ नहीं किया। सांसद बताएं कि उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र से कौन सा गांव गोद लिया है व उस गांव के अंदर उन्होंने कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर के स्वीकृत मेडिकल कॉलेज को रुकवाने के लिए सांसद एवं नादौन के पूर्व विधायक ने पूरा जोर लगाया।

सुक्खु ने कहा कि 26 मई को मोदी सरकार को बने चार साल पूरे हो जायेंगे। देश भर में डीजल व पेट्रोल की कीमतें बढ़ गयी हैं जबकि विश्व में कीमतें कम हुई है। कांग्रेस इस दिन को महंगाई दिवस के रूप में मनाएगी। ब्लॉक स्तर पर महंगाई पथ यात्राओं का आयोजन कर एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजे जायेंगे। इस मौके पर विधायक इंद्र दत्त लखनपाल, राजेंद्र राणा, पूर्व विधायक अनीता वर्मा, कुलदीप पठानिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर, प्रेम कौशल, सुनील शर्मा समेत कई कांग्रेसी मौजूद रहे।

राज्य नवोन्मेष पुरस्कारों के लिए चार नामांकन स्वीकृत

शिमला/शैल। मुख्य सचिव विनीत चौधरी की अध्यक्षता में छः चिन्हित क्षेत्रों के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्रीय समितियों द्वारा अनुग्रहित योजना/श्रेष्ठ नवोन्मेष कार्यो को स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्य नवोन्मेष परिषद की बैठक आयोजित की गई। इन क्षेत्रों में कृषि एवं बागवानी, शैक्षणिक, खाद्य प्रसंस्करण एवं उत्पादन, सामाजिक विकास, पर्यटन तथा विभिन्न सरकारी क्षेत्र शामिल हैं। ये पुरस्कार वर्ष 2016-17 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नवोन्मेष पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दिए जाएंगे।

परिषद ने बैठक में योजना विभाग द्वारा प्राप्त कुल 32 नामांकनों में से क्षेत्रीय समितियों द्वारा अनुग्रहित चार नामांकनों को राज्य नवोन्मेष पुरस्कार के लिए स्वीकृत किया।

राज्य नवोन्मेष परिषद ने कृषि महाविद्यालय सीएसकेएचपीकेवी-पालमपुर में सब्जी विज्ञान एवं पुष्प कृषि विभाग के वैज्ञानिक डॉ. प्रदीप कुमार द्वारा प्रस्तुत 'एन इनोवेटिव वैजिटेटिव प्रोपेगेशन टैक्निक फोर कैप्सिकम, टोमेटो एण्ड क्यूकम्बर प्रोडैक्शन', हिमालयन रिसर्च ग्रुप (एचआरजी) द्वारा प्रस्तुत 'डोमैस्टिक सोलर वॉटर हिटिंग पैनल फोर माउटेंज (सोलर हमाम)', प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत 'मिशन फोर ऑन-टाईम टैक्सट बुक डिलिवरी' तथा डी.जी. कारागार एवं सुधार सेवायें हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तुत 'हर हाथ को काम' नामक चार प्रस्तावों को क्रमशः कृषि एवं बागवानी, खाद्य प्रक्रमण एवं उत्पादन, शैक्षणिक तथा सामाजिक विकास के अन्तर्गत स्वीकृत किया।

राज्य नवोन्मेष परिषद ने चयनित नवोन्मेषों के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार राशि के लिए 31 हजार रुपये तथा नवीन विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्बन्धित संगठनों/ संस्थानों को दी जाने वाली राशि के लिए दो लाख रुपये भी स्वीकृत किए। बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्ष 2017-18 के लिए पुरस्कार योजना के अन्तर्गत नामांकन आमंत्रित करने के लिए जल संसाधन एवं कचरा प्रबन्धन को भी शामिल किया जाएगा। किरायामुक्त परिवहन क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र में शामिल कर पर्यटन क्षेत्र में सम्भावनाओं को विस्तृत किया जाएगा। वर्ष 2017-18 के लिए नवोन्मेष पुरस्कारों के लिए इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने की अन्तिम तिथि 20 जून, 2018 है।

थम ही नहीं रहा हादसों का दौर

एक ही परिवार के छः लोगों की मौत

शिमला/शैल। प्रदेश में दो अलग अलग हादसों में साढ़े तीन साल के एक बच्चे व तीन महिलाओं समेत यात्री मौत के मुंह में समा गए। एक हादसा सिरमौर के राजगढ़ में तो दूसरा शिमला के छैला के समीप हुआ है। सिरमौर जिला में हुए हादसे में बस के नीचे दबी दो लाशों को जेसीबी का सहारा लेकर निकालना पड़ा। जेसीबी से बस को पलटाया गया फिर बुरी तरह से बस में फंसी लाशों को जैसे कैसे निकाला जा सका। लाशों की इतनी बुरी हालत थी कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। पुलिस ने तलाशी लेकर मिले कागजातों व अन्य मिली सामाग्री के आधार पर शिनाख्त कर उनके परिजनों को मौके पर बुलाया। जबकि जिला शिमला के छैला में हुए हादसे में एक ही परिवार के छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में कोई नहीं बच पाया।

सुबह पौने नौ बजे के करीब जिला सिरमौर के मानवा से सालन के लिए यात्रियों से भरी निजी बस पझौता के समीप भूण नामक जगह पर सड़क से नीचे लुढक गई व इसमें छह यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो ने सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में दम तोड़ा। हादसा हो जाने के बाद स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को सड़क में पहुंचाकर उन्हें सोलन अस्पताल पहुंचाया। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची अधिकांश घायलों को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया जा चुका था।

इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। राजगढ़ थाना के एसएचओ बलवंत कंवर ने बताया कि चार लाशें बस के पास पड़ी थी जबकि दो बस के नीचे दबी थी। इन्हें निकालने के लिए जेसीबी मंगवाई गई व बस पलटा कर इन्हें निकाला गया। बस के चालक की टांग बस में ही फंसी थी उसे भी निकाला गया। छह यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। जिनमें जिला के हरिपुर धार के दोटू राम (58)कांगड़ा के सुभाष चंद (58),नौहरी की प्रिया(31), राजगढ़ के समीप थानाधार की कौशल्या (48), पझौता के ही एक गांव का उदय राम (49) और वाकनाघाट सोलन के संतोष कुमार जो बस का चालक भी था कि मौके पर ही मौत हो गई थी।

इसके अलावा साढ़े तीन साल के मास्टर आस्तिक पुत्र प्रदीप गांव थानाधार, राजगढ़ और नारदा (35) गांव द्राबला पझौता ने सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में दम तोड़ा। पुलिस के मुताबिक बस से बहुत से यात्री बीच में ही छिटक गए थे जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। कांगड़ा के सुभाषचंद शास्त्री के पद पर कार्यरत थे व वह रिटायर होने वाले थे। पुलिस के मुताबिक वह अपनी सर्विस बुक ले कर जा रहे थे। लेकिन हादसे का शिकार हो गए।

एसडीएम राजगढ़ के आदेशों के बाद छह मृतकों का पोस्मार्टम मौके पर ही कर दिया गया व लाशें उनके परिजनों को सौंप दी गई जबकि दो का पोस्टमार्टम सोलन अस्पताल में हुआ। हादसे की जानकारी मिलने के बाद एसपी सिरमौर से लेकर एसडीएम राजगढ़, डीएसपी व बाकी अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 15-15 हजार और घायलों को 10-10 हजार रुपए राहत दी है। एसएचओ बलवंत कंवर ने कहा कि हादसे की वजह का पता जांच के बाद चलेगा। हालांकि वहां सड़क बहुत चौड़ी थी व हादसा होने की संभावना नहीं थी।

इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद कई लोग मौके पर वीडियो बनाने में मशगूल रहे। पुलिस मौके पर लाशें उठाने के लिए जब पहुंची तो कुछ को छोड़ लाश को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। पुलिस के मुताबिक लोग मोबाइल पर वीडियो बनाते रहे। हालांकि कुछ लोगों ने बहुत मदद कर दी व तुरंत जेसीबी लेकर आ गए।

दूसरे हादसे में जिला शिमला से करीब 25 किलोमीटर दूर छैला के समीप हुए सड़क हादसे में चार पुरुषों व दो महिला समेत एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई है।

हादसा सुबह साढ़े दस बजे के करीब छैला के समीप खोल गली के समीप हुआ है। छैला पुलिस के मुताबिक मशोबरा के समीप सुन्नी तहसील के झरोग गांव के लक्ष्मी चंद व उनके परिवार के बाकी लोग सुबह क्यार गांव में मशाणी जगाने जा रहे थे। उनके पारिवारिक संकटों के समाधान के लिए किसी ने उन्हें सलाह दी थी कि वह गांव क्यार में जाकर अपने पूर्वजों की मृत आत्माओं को जगाएं व वही उनके संकटों का समाधान बताएंगे। गांव क्यार में मृत आत्माओं को जगाया जाता है व वहां सैंकड़ों लोग दूर दूर से आते है।

ऐसे में लक्ष्मी चंद, उनके भाई कमलचंद व उनका बेटा जयकिशन के अलावा उन्हीं के परिवार के चेतराम, तृप्ता और मीरा अपनी कार नंबर एच पी 63बी-0227 में गांव क्यार की ओर चल पड़े। कार को कमलचंद का बेटा जयकिशन चला रहा था।

जब वह छैला से करीब सात किलोमीटर आगे खोल गली के पास पहुचे तो जयकिशन का कार पर से नियंत्रण खो गया और कार सड़क से नीचे लुढक कर करीब तीन सौ मीटर खाई में पलटे खाती जा गिरी। हादसे में सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वह गांव क्यार नहीं पहुंच सके।

हादसे का पता चलने पर स्थानीय लोग मौके की ओर दौड़े व खून से लथपथ लाशों को एकत्रित किया। इसके बाद लाशों को सड़क तक पहुंचाने का काम शुरू हुआ। छैला पुलिस के मुताबिक दोपहर बाद तक लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ठियोग अस्पताल पहुंचाया जा सका। हादसे के बाद मृतकों के गांव से लोग व उनके रिश्तेदार ठियोग अस्पताल पहुचे व पूरे गांव मातम छा गया है।

2019 में भाजपा की विदाई तय:आनन्द शर्मा

शिमला/शैल। पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार के चार सालों को निराशाजनक करार देते हुए प्रधानमंत्री को प्रचार करने के बजाय पश्चाताप करने की सलाह दी है। राजधानी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आनंद शर्मा ने कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, दो करोड़ सालाना रोजगार देने, महिलाओं व दलितों की सुरक्षा व सशक्तिकरण से लेकर विदेश नीति और कूटनीति के क्षेत्र में प्रधानमंत्री विफल रहे हैं। देश की जनता के लिए मोदी सरकार के चार साल अच्छे दिन नहीं लाए, ये तकलीफ के चार साल रहे।

शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार मे पिछले चार सालों में नोटबंदी के फैसले व जीएसटी को गलत तरीके से लागू करने की वजह से करोड़ों रोजगार टूटे है। पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा शराब, रियल इस्टेट जैसी चार पांच महत्वपूर्ण मदों को जीएसटी से बाहर रख दिया इन्हीं से 45 फीसद कर राजस्व एकत्रित होता है। इसके अलावा जीएसटी की जो लाखों करोड़ों रुपयों की रकम रिफंड होनी थी वह बकाया बची है। सुक्ष्म, लघु व मझोले उद्योगों में से 33 फीसद बंद हो गए जिसकी वजह से चार करोड़ के करीब रोजगार टूट गए।

शर्मा ने कहा कि छह दशकों में निवेश की दर ऐतिहासिक तौर पर न्यूनतम रही है। यह 34 फीसद से 27 फसद तक पहुच गई। यही नहीं देश की राष्ट्रीय बचत दर भी पिछले

15 सालों में न्यूनतम आंकड़े पर पहुंच गई है। बैंकों में पैसा ही नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि नए उद्योग नहीं लगे और पुराने उद्योग एक तिहाई क्षमता का दोहन कर पा रहे है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बैंक कुप्रबंधन का शिकार हो गए। तीन लाख करोड़ का एनपीए था जो कि पिछले चार सालों में 11 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस में से सात लाख करोड़ तो उन औद्योगिक घरानों का है जो प्रधानमंत्री के साथ विदेशों में भ्रमण में रहते हैं। जो कुछ बैंकों को लूट कर चले गए वह भी सरकार के मित्र है।

आरबीआई की विश्वसनीयता व साख पूरी दुनिया में टूट चुकी है। डीजल व पेट्रोल की कीमतों को लेकर पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमते गिरी हैं। इससे दुनिया के बाकी देशों में 67 फीसद कीमतें गिरी लेकिन भारत में यह मई 2014 के बाद 110 फीसद बढ़ी है। जनता की जेब से सरकार ने दस लाख करोड़ रुपए उग रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इन चार सालों में आरबीआई, सीबीआई, ईडी जैसे संस्थानों की ही नहीं सुप्रीम कोर्ट की साख भी गिरी है। यह बेहद चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि कूटनीति में तो प्रधानमंत्री बिल्कुल विफल रहे है। वह केवल तस्वीरें ही खिंचवाते रहे।

पाकिस्तान के साथ भारत की नीति सबसे ज्यादा विफल रही है। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री अचानक काबुल से पाकिस्तान चले गए। यह यात्रा अचानक नहीं थी पहले से नियोजित थी। क्योंकि जो उपहार खरीदे गए थे वह देश में ही बहुत पहले खरीद लिए गए थे। वह पाकिस्तान की धरती पर उतरे लेकिन उन्हें सलामी नहीं दी गई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। छोटे छोटे देशों के नेताओं को भी सलामी दी जाती है। उन्हें तो फौज की टुकड़ी तक ने सलामी नहीं दी। वह वहां व्यक्तिगत यात्रा पर नहीं गए थे। वह प्रधानमंत्री के तौर पर गए थे व उनके जहाज पर तिरंगा लगा था। यह अपमानजनक था।

आनंद शर्मा ने कहा कि 2019 में कांग्रेस व कांग्रेस नीत गठबंधन भाजपा की सत्ता से विदाई कर देगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर हो जाए। उन्होंने उम्मीद जताई की गठबंधन बनेगा। बिहार में गठबंधन बना था तो भाजपा वहां हार गई। उत्तरप्रदेश के उपचुनावों में दो ही दल साथ हुए थे ऐसे में भाजपा को वहां भी हार का मुंह देखना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं दिया जाएगा।

आनंद शर्मा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर एतराज जताते हुए आनंद शर्मा ने कहा कि वह शालीनता से बात नहीं करते है सभी मर्यादाएं तोड़ दी है। चुनावी भाषणों में ऐतिहासिक झूठ बोले गए। प्रधानमंत्री लोगो की भावनाएं भड़का गए और सेना को भी नहीं छोड़ा। जनरल करियप्पा व जनरल थम्मैया को लेकर सरेआम झूठ बोला।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सच्चाई से झगड़ा रहता है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा कर्नाटक चुनाव में 15 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कांग्रेस के 42 प्रत्याशियों पर आयकर के छापे डलवाए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर के दूरदर्शी मार्गदर्शन में

सुशासन और सुरक्षा के नए दौर की शुरूआत

शक्ति बटन ऐप : गूगल प्ले स्टोर अथवा himachal.nic.in से एंड्रोयड फोन पर शक्ति बटन ऐप डाउनलोड करें। संकट के समय लाल बटन दबाएं या मोबाइल को ज़ोर से हिलाएं या कहीं फेंके, 20 सेकेंड के भीतर आपका संदेश निकटतम पुलिस नियंत्रण कक्ष में पहुंच जाएगा और पुलिस सहायता के लिए सम्पर्क करेगी। इन्टरनेट कनैक्टिविटी न होने की स्थिति में भी यह ऐप कार्य करता है।

गुड़िया हेल्पलाइन टोल फ्री नम्बर 1515 :

चौबीस घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। टोल फ्री नम्बर 1515 पर मुश्किल घड़ी में सूचना दें। पुलिस तत्काल सहायता के लिए पहुँचेगी।

होशियार सिंह हैल्पलाईन टोल फ्री नम्बर 1090

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 24 घंटे इसकी निगरानी की जा रही है। वन माफिया, नशा माफिया या खनन माफिया के ख़िलाफ सूचना देने के लिए टोल फ्री नम्बर 1090 घुमाएं। आपकी सूचना गुप्त रखी जाएगी।

- सरकार ने भाजपा के 'स्वर्णिम हिमाचल दृष्टिपत्र-2017' को नीति दस्तावेज़ के रूप में अपनाया।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्ति की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की, हज़ारों वृद्धजन लाभान्वित।
- कर्मचारियों एवं पेंशनरों को ₹ 880 करोड़ के वित्तीय लाभ जारी। जुलाई, 2017 से 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता और जनवरी, 2016 से 8 प्रतिशत अंतरिम राहत।
- बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए मंत्रिमण्डलीय उप-समिति का गठन।
- अनुबन्ध आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारियों का मातृत्व अवकाश 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया।

हिमाचल सरकार का प्रयास : सबका साथ – सबका विकास

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हि.प्र. द्वारा जारी

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकारों ने दिया है अवैध कब्जाधारकों को संरक्षण

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में वनभूमि पर अवैध कब्जों के मामले सरकार से लेकर अदालत के संज्ञान में आ चुके हैं। स्मरणीय है कि जब 2002 में सरकार ने अवैध कब्जों को नियमित करने की योजना बनाई थी और लोगों से कहा था कि वह अपने-अपने अवैध कब्जों की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से सरकार को दे दें। उस समय एक लाख से अधिक शपथ पत्र सरकार के पास आ गये थे। जब लाखों में सरकार के पास ऐसे शपथ पत्र आ गये तब इस योजना को ही प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गयी थी और उच्च न्यायालय ने इसका अनुमोदन नही किया। तब से सरकार के संज्ञान में यह अवैध आ चुके हैं। अदालत ने इनका कड़ा संज्ञान लेते हुए इन कब्जों को हटाने और कब्जाधारक के खिलाफ मनीलॉड्रिंग अधिनियम के तहत कारवाई किये जाने के निर्देश दिये थे। संवद्ध प्रशासन को यह निर्देश दिये थे कि वह ऐसे मामलों की जानकारी ईडी को दें। लेकिन उच्च न्यायालय के इन निर्देशों की अनुपालना आज तक नही हो पायी है। लेकिन सरकार में मन्त्री से लेकर मुख्यमन्त्री तक हर बड़ा इस पर ऑखे मुंदे बैठा रहा। जब अदालत ने अपने आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये कड़ा रूख अपनाया तब इस आन्दोलन तक छेड़ने के प्रयास हुए और सरकार ने भी अप्रत्यक्षत: आनदोलनकारियों को प्रोत्साहित ही किया।

आज जब अवैध निर्माणों पर सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रूख अपनाया और कसौली में इन आदेशों की अनुपालना में एक महिला अधिकारी की हत्या तक कर दी गयी लेकिन इस सब के बावजूद अब भी सरकारी तन्त्र अवैध कब्जों को लेकर कितना गंभीर है इसका अन्दाजा अदालत की टिप्पणीयों से लग जाता है This court from time to time has been adversely commenting on the functioning of the officials of the respondents an even now when the respondents have chosen not to evict even one of the encroachers as aforesaid, this only reflects a half-hearted attempt, lack of courage of conviction, requisite departmental desire or determination or will of theses officials to implement the order(s) of this Court.

It is well known that in order to achieve any extraordinary result , one is required to have a strong will, firm determination, and burnings desire. All the three s master components are wholly absent, rather conspicuously lacking in these officials.

यही नही वन विभाग अवैध

13 लोगों का है 2542.37 बीघे पर अवैध कब्जा

कब्जों को हटवाने की बजाये राजस्व विभाग से Demarcation लेने की नीति पर चल पड़ा। जबकि सरकार के महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को यह भरोसा दिलाया था और आग्रह किया था कि इसमें एसआईटी गठित करने के आदेश पारित न करें क्योंकि प्रशासने दो सप्ताह मे स्वयं यह कार्य पूरा कर लेगा। अदालत ने इस पर एसआईटी गठित नही की थी लेकिन दो सप्ताह के बाद जब दोबारा मामला सुनवाई के लिये लिया तब तक एक भी मामले में विभाग ने कोई कारवाई नही की थी। बल्कि यह सामने आया कि जिलाधीश शिमला इसमें तीन माह का और समय मांग रहे थे और वित्तायुक्त अपील ने 1987 का एक मामला जिलाधीश शिमला को भेजा। जिसे दस दिन में निपटाने के आदेश के उच्च न्यायालय को देने पड़े। क्योंकि अदालत के सामने यह भी आया कि शायद इस मामले की फाईल ही गायब हैं वन विभाग के डिमारकेशन लेने के प्रयास पर उच्च न्यायालय ने कड़ी निन्दा करते हुए यह कहा We further notice that the Forest Department has filed applications for demarcation before the appropriate authorities, including the Deputy Commissioner, Shimla. We fail to understand that as to why such process stands adopted by the Forest Department, for if the encroachment is on the forest land, then where is the question of the same being got demarcated prior to the ejectment of encroachers. if at all, any one has to move for demarcation. It has to be the encroacher claiming title over the land in question and not the Forest Department.

सरकारी तन्त्र की इस स्थिति को देखने के बाद अन्तत: उच्च न्यायालय को इसमें एसआईटी का गठन करना पड़ा है और सौ बीघे से अधिक के कब्जों के मामले इस एसआईटी को सौंपे गये हैं। इन मामलों को देखने से यह सवाल उठना स्वभाविक है कि इतने बड़े स्तर पर इन्हे कैसे अन्जाम दिया गया। क्योंकि सौ बीघे से अधिक जो 13 मामले एसआईटी को सौपे गये हैं उनमें दो मामले एक ही गांव के ऐसे हैं जिनमें 345.54 और 318.96 बीघे पर अवैध कब्जे किये गये। तीन मामलों में 292. 38, 279.09 और 239.22 बीघे पर अतिक्रमण हुआ है। शेष आठ मामलों में 199.35 से लेकर 110.3 बीघे तक अतिक्रमण है। जहां लैण्ड सीलिंग की सीमा से भी अधिक का अतिक्रमण तन्त्र की मिली भगत के बिना नही हो सकता। लेकिन साथ ही यह सवाल उठता है कि राजनीतिक नेतृत्व क्या कर रहा था? यह अतिक्रमण पिछले बीस वर्षों से अधिक समय का है। जिसका सीधा सा अर्थ है कि यह सबकुछ राजनीतिक नेतृत्व के आशीर्वाद के बिना नही घट सकता। जबकि वीरभद्र तो सत्ता में आये ही फारेस्ट माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ने के वायदे के साथ थे। लेकिन आज वनभूमि पर सबसे अधिक अवैध कब्जे प्रदेश में रोहडू में ही सामने आये हैं। परन्तु इन बीस वर्षों में वीरभद्र के साथ ही भाजपा भी बराबर में सत्ता में भागीदार रही है और उसने भी इन अवैध कब्जाधारकों को संरक्षण देने में कोई कमी नही रखी है इस परिदृष्य में आज यह आवश्यक हो जाता है कि जिन अधिकारियों के कार्यकाल में यह अवैध कब्जे हुए हैं और फिर जो इन्हे लगातार संरक्षण देते आये हैं उन्हे चिन्हित करके जब तक उन्हे सज़ा नही दी जाती है तब तक सब रूकने वाला नही है। इन अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ भी प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले की अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिये जिसमें इनके खिलाफ मनीलॉड्रिंग के तहत कारवाई किये जाने के आदेश किये गये थे। यह है तेरह मामले जो एसआईटी को सौंपे गये हैं।

ये है अवैध कब्जे

Sr. No.	Name of Person	Village Tehsil And District	Name of Forest	Approx Area
1.	Moti Ram S/o Padam Singh, Balbu Singh S/o Late Mangat Ram, Laiq Ram, S/o Late Padam Singh	Village Pahar Tehsil Jubbal	DPF Giri	345-54
2.	Ashok S/o Shyam Lal, Hemant Thakur S/o Late Sohan Singh, Gian Singhs S/o Karam Singh	Village Pahar, Tehsil Jubbal	DPF Giri	318-96
3.	Champa Lal, S/o Chunni Lal, Bupendes Singh, S/o Partap Singh, Ramesh Kumar, S/o Madhu Ram, Mohan Lal S/o Late Bhagmal	Village Barthata	UPF Mural	292-38
4.	Gain Chand S/o Lachi Ram, Balbir Dhaulta, S/o Megh Ram, Shishi Ram Jeata S/o Chet Ram, Joginder Kinta S/o Ram singh, Surender Ghumta S/o Pyare Lal	Village Barthata and Badha	DPF Giri	279-09
5.	Kushal Chand, S/o Hira Singh, Sant Ram, S/o Lajia Ram	Village Barthata	UPF Badhal	239-22
6.	Goverdhan S/o Late Bhagat Ram, Sunil S/o Shama Nand	Village Pahar	DPF Giri	199-35
7.	Joginder S/o Mangat Ram, Ajay Sood, S/o Mast Ram, Beli Ram S/o Budhi Ram, Sunil Kumar S/o Late Shayama Nand	Village Pahar	DPF Giri	199-35
8.	Pakash Dhauta, S/o Nathu Ram, Balwant Jhauts S/o Bala Mohan Singh S/o Relu Ram, Nand Jhauts, Mohender Singhs, S/o Mohan Lal, Jeewan Singhs Hauts S/o Bhika Ram	Village Dhar	DPF Giri	199-35
9.	Narender Chauhan S/o Lachhi Ram, Parmod Souta S/o Tusil Dass, Sohan Singh Bali, S/o Thakur Ram Pratap Chauhan S/o Paras Ram	Village Dhar	UPF Badhal	159-48
10.	Surender Aukta s/o Partap Aukta, Ganga Ram Relu Govind S/o Late Geeta Ram	Village old Jubbal and Berli	UPF Badhal	146-19
11.	Rai Singh Ghumta/ Vipan Lal, Udam Singh & Sant Ram Ghumta, Ramesh	Village Balai	DPF	132-9
12.	Anand Dhanta & Bhagat Ram S/o Late Madan Singh, Vijay Anand, S/o Late Mohan Lal, Arun Chand Khanolota, S/o Late Padam Singh	Village Shillar	UPF	119-61
13.	Rajeev Chauhan S/o Jia Lal	Village Chhajpur	UPF Badhal	110-3